

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4575
जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....
सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक भू-जल रिपोर्ट

4575. श्री नवीन जिंदल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जारी 2024 की वार्षिक भू-जल रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्ष और की गई प्रगति क्या है;
- (ख) भारत के गतिशील भू-जल संसाधनों को राष्ट्रीय संकलन, 2024 किस प्रकार प्रभावी भू-जल प्रबंधन नीतियों और रणनीतियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है;
- (ग) पुनर्भरण बढ़ाने में योगदान देने में जल निकायों, टैक्सों और संरक्षण संरचना की भूमिका क्या है और यह किस प्रकार भू-जल पुनरुद्धार के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहल के प्रभाव को दर्शाती है;
- (घ) भू-जल संसाधनों के प्रबंधन में अभी भी क्या चुनौतियां बनी हुई हैं और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) देश, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां गंभीर जल संकट या भू-जल की कमी है, की भू-जी संधारणीयता में और सुधार लाने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर देश के डॉयनेमिक भूमि जल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। "भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024" की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पाया गया है। कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 406.19 बीसीएम पाया गया है तथा सभी उद्देश्यों (जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि उपयोग आदि) के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 245.64 बीसीएम अनुमानित है। देश के भूमि जल निष्कर्षण (एसओई) का चरण, जिसे कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूमि जल संसाधनों की तुलना में सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, इसी अवधि के 60.47% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में कुल 6746 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल) में से 4951 (73. 39%) इकाइयों को सुरक्षित, 711 इकाइयों (10.54%) को अर्ध गंभीर, 206 इकाइयों (3.05%) को गंभीर और 751 इकाइयों (11.13%) को अतिदौहित और शेष 127 आकलन इकाइयों को (1.88%) को लवणीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख): प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिए इसकी उपलब्धता, उपयोग और चुनौतियों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। भारत के डॉयनेमिक भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024, ब्लॉक-स्तर पर वार्षिक भूजल पुनर्भरण, उपलब्धता

और निष्कर्षण का विवरण प्रदान कर देश के भूजल परिदृश्य का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो देश में नीति नियोजन के लिए एक मूलभूत इकाई है। वैज्ञानिक और डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाकर, यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वर्षा, भूमि उपयोग पैटर्न और औद्योगिक विकास आदि के साथ भूजल परिवर्तनशीलता में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, यह रिपोर्ट सुविज्ञ निर्णय लेने, प्रभावी नीतियों और प्रबंधन रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायता करती है।

(ग): हाल के वर्षों में, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी किए गए संचयी उपायों का देश के भूजल संसाधनों के संवर्धन के साथ-साथ जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2017 और 2024 के बीच तुलना करने पर, यह पाया जाता है कि देश में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं (डब्ल्यूसीएस) से हो रहे भूजल पुनर्भरण में 11.36 बीसीएम की वृद्धि हुई है, अर्थात् वर्ष 2017 में 13.98 बीसीएम से 2024 में 25.34 बीसीएम तक की वृद्धि पाई गई है। इसके अतिरिक्त, इन संरचनाओं से जल भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिसका उपयोग सिंचाई, पेयजल आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार भूजल निष्कर्षण को कम किया जा सकता है।

(घ): देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में मुख्य चुनौतियां जो अभी तक विद्यमान हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय भूमि अधिकार और स्वामित्व संबंधी मुद्दे, फ़िल्ड स्तर पर उपयुक्त सूचना की कमी, जमीनी स्तर पर कुशल कार्मिकों की अनुपलब्धता, विभिन्न अभिकरणों और स्टेकहोल्डरों के बीच अपर्याप्त समन्वय; सक्रिय और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना; राज्य और स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त अभिकरण क्षमता आदि मुद्दे शामिल हैं। सरकार द्वारा प्रभावी संवाद और समन्वय के लिए केन्द्र और राज्य स्तर के अधिकारियों के साझा मंच तैयार करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में वृद्धि करने, भूजल मुद्दों के विषय में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी क्रियाकलापों के व्यापक उपयोग आदि के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि एक योजना के रूप में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा अटल भूजल योजना (अटल जल) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह एक सामुदायिक नेतृत्व वाली योजना है जो भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर जोर देती है। अटल जल अपने दायरे में उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों को शामिल करता है, जिन्हें देश में स्थायी भूजल प्रबंधन के भविष्य के रूप में देखा जाता है।

(इ): जल राज्य का विषय है। देश में भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित किया जाता है। इस दिशा में, देश में जल की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भूजल स्तर में गिरावट को रोकने तथा भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा पहले से ही महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं।

ये सभी उपाय स्थायी प्रकृति के हैं जिनसे भविष्य में भी मौजूदा अथवा संशोधित रूपों में भूजल स्थायित्व का ध्यान रखा जाएगा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान

दिया जा रहा जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में अनगिनत भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

- ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल के दोहन की अनुमानित लागत सहित देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभूत विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभूत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) शुरू किया गया है। देश के समस्त मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु कृत्रिम पुनर्भरण हेतु सिफारिशों एवं प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल की मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागिता भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित योजना है।
- v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खेत पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।
- vi. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है।
- vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी सहउपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है।
- viii. जल शक्ति अभियान की गति में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल संस्कार: भारत में जल की स्थायित्वता के लिए समुदाय-आधारित आंदोलन का माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से शुभारंभ किया गया है। इस पहल के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास किया गया है।
